**समयबद्ध/निजि ध्यानार्थ/महत्वपूर्ण**

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, हरियाणा चण्डीगढ़।

सेवा में

1. राज्य के सभी मण्डलायुक्त
2. राज्य के सभी उपायुक्त
3. राज्य के सभी अतिरिक्त उपायुक्त
4. राज्य के सभी उप मण्डल अधिकारी (नागरिक)
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद् गुड़गांव (SCERT)
6. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी
7. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
8. राज्य के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी

यादी क्रमांक 18/62–2011 पी0ई0 (4)
दिनांक पंचकुला 01–09–2011

विषय :– विद्यालयों के सौन्दर्यीकरण हेतु राजकीय विद्यालयों के लिए खण्ड स्तर, जिला स्तर तथा राज्य स्तर पर "मुख्यमन्त्री स्कूल सौन्दर्यीकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" का क्रियान्वयन।

****

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में जैसा कि आपको विदित है कि राज्य सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किये गये प्रयासों के साथ–साथ विद्यालयों में शैक्षणिक एवं भौतिक सुविधाओं की उचित व्यवस्था हेतु कृत संकल्प है। इन सभी प्रकार की सुविधाओं को भली–भांति बनाए रखना तथा विद्यालय भवनों, प्रांगणों, शौचालयों इत्यादि को साफ–सुथरा रखना, विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित रखने का पवित्र कर्तव्य विद्यालयों के मुखियाओं का है। ऐसा करने से एक तो राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे स्वच्छता के प्रति जागरुक होगें और साथ ही एक ऐसा वातावरण बन पाएगा जिसमें विद्यार्थी विद्यालयों में सहर्ष आएंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे तथा अपने आप को सहज एवं प्रफुल्लित पाएंगे। इसके साथ–साथ शिक्षकों को भी एक सजीव एवं स्वस्थ वातावरण मिलेगा।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमन्त्री जी ने स्वतन्त्रता दिवस के शुभ अवसर पर 15 अगस्त को इस स्कीम को प्रारम्भ करने की घोषणा की है। इस स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड, प्रत्येक जिला तथा राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले प्रत्येक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च

क्रमशः

तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को पुरस्कृत किया जाएगा जिसमें खण्ड स्तर पर, जिला स्तर पर तथा राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले उपरोक्त चारों प्रकार के विद्यालयों को क्रमशः 50000, 100000, 500000 रूपये का पुरस्कार दिया जाएगा। उक्त स्कीम में चयन समितियां खण्ड स्तर पर उप मण्डल अधिकारी (नागरिक), जिला स्तर पर अतिरिक्त उपायुक्त तथा राज्य स्तर पर वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में गठित की गई हैं।

आपसे अनुरोध है कि आप इस स्कीम को अपने अधीन प्रत्येक विद्यालय में कियान्वित करवायें। इसके साथ–साथ विद्यालयों को इस स्कीम में खास तौर पर भाग लेने के लिए प्रेरित भी करें। इस सन्दर्भ में आप द्वारा किए गए प्रयास शिक्षा के गुणात्मक एवं सर्वांगीण विकास में एक विशेष भूमिका प्रदान करेगें। स्कीम में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार आगामी कार्यवाही आरम्भ करके कृपया यह सुनिश्चित करें कि आपके जिला के सभी राजकीय विद्यालय इस प्रतियोगिता में भाग लें तथा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही से निदेशालय को भी अवगत करवाएं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यह स्कीम शिक्षा विभाग की वैबसाईट **www.harprathmik.gov.in, www.schooleducationharyana.gov.in, wwwssaharyana.org** पर भी उपलब्ध है।

**संलग्नः स्कीम की प्रति**

**संयुक्त सचिव मौलिक शिक्षा**
**कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार**
**विद्यालय शिक्षा विभाग**

**पृष्ठांकन क्रमांक– सम** **दिनांक पंचकुला 01-9-2011**

इसकी एक प्रति उपरोक्त स्कीम की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़।
2. निदेशक, पंचायत एवं विकास विभाग, हरियाणा, चण्ड़ीगढ़।
3. निदेशक, विद्यालय शिक्षा, हरियाणा, शिक्षा सदन, पंचकुला
4. निदेशक, मौलिक शिक्षा, हरियाणा, शिक्षा सदन, पंचकुला
5. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा परियोजना परिषद्, हरियाणा, शिक्षा सदन, पंचकुला।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास, हरियाणा, पंचकुला

**संयुक्त सचिव मौलिक शिक्षा**
**कृतेः वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार**
**विद्यालय शिक्षा विभाग**

# मुख्यमन्त्री स्कूल सौन्दर्यीकरण प्रोत्साहन योजना – एक प्रारूप

**भूमिका**

विद्यालयों का सौन्दर्यीकरण विद्यार्थियों को आकर्षित करने हेतु परम आवश्यक है। विद्यालय वह पावन धाम हैं जहां भावी राष्ट्र के भाग्य का स्वरूप निर्धारित होता है, यही वह पौधशाला है जहां भावी युवा, भावी नागरिक एवं भावी शक्ति के व्यक्तित्व का सृजन एवं श्रृंगार होता है। विद्यालय में व्यतीत प्रातः कालीन छः घंटे विद्यार्थी के अगले 24 घंटों की दिनचर्या का निर्धारण करते है, और यही दिनचर्या आगे चलकर उसके जीवन का निर्माण करती है। अतः विद्यालयों की सुन्दरता एवं शालीनता भावी पीढ़ी के निर्माण में आधार–शिला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी सौन्दर्यीकरण के महत्व को प्रमुख स्थान दिया था और यहां तक भी कहा था कि परमात्मा के बाद दूसरे स्थान पर स्वच्छता का स्थान आता है। (Cleanliness is next to Godlines) इसी भाव से प्रेरित होकर हरियाणा प्रदेश शिक्षा विभाग ने अपने विद्यालयों के बच्चों में वातावरण की सौम्यता एवं सुन्दरता के प्रति अभिरूचि एवं पारस्परिक स्पर्धा में वृद्धि करने के लिए "**मुख्य मन्त्री स्कूल सौन्दर्यीकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना**" का शुभारम्भ किया है।

**योजना के उद्देश्यः–**

1. विद्यालयों को विद्या अर्जन के लिए आर्कषण–केन्द्र के रूप में विकसित करना।
2. विद्यार्थियों को विद्यालय प्रांगण में सजीवता एवं सुन्दरता को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना।
3. विद्यालय वातावरण को स्वस्थ एवं सुन्दर बनाना।
4. विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को वातावरण के प्रति सजीव एंव सजग बनाना।
5. विद्यालय परिसर में पुष्प वाटिकाओं को विकसित करना।
6. विद्यालय भवनों को रंगाई–पुताई करके आर्कषक बनना।
7. कक्षा–कक्षों में उपयोगी अनमोल वचन लिखवाकर विद्यार्थियों के सकारात्मक एवं स्वच्छ चिंतन में वृद्धि करना।
8. विद्यालय भवनों के बरामदों में राज्य एवं राष्ट्र के मानचित्र, राष्ट्रगान एवं शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान आदि के साथ–साथ नैतिक शिक्षा उन्मुख अनमोल वचन लिखवाकर विद्यार्थियों का मानसिक एवं चारित्रिक विकास करना।
9. खेल मैदानों को विकसित करके खेलने में अभिरूचि वृद्धि करना।
10. विद्यालय मुख्यद्वारों एवं आंतरिक मार्गो को सुन्दर एवं सजीव बनाना।
11. विद्यालयों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वस्थ एवं सबल बनाना।
12. विद्यालयों में स्वच्छ पेय जल की पूर्ति को सुनिश्चित करना।
13. विद्यालयों में स्वच्छ व सुलभ शौचालयों को सुनिश्चित करना।

14. विद्यार्थियों को अपने तन,मन एवं अपने समाज की स्वच्छता एवं आरोग्यता के प्रति सजग बनाना।
15. विद्यार्थियों को स्वच्छता सम्बन्धित उपयुक्त साधनों के प्रयोग के प्रति प्रेरित करना।
16. विद्यार्थियों को जल संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करना।
17. विद्यार्थियों के अनुपयुक्त पदार्थो (पोलोथीन, प्लास्टिक, कांच इत्यादि) के उपयुक्त निपटान सम्बन्धी ज्ञान में वृद्वि करना।
18. विद्यार्थियों को धुम्रपान, नशीले पदार्थो के सेवन के दुष्प्रभावों संबंधी जानकारी देकर उनके आरोग्य में वृद्वि करना।
19. अध्यापकों में आदर्श अध्यापक होने का स्वाभिमानी भाव जागृत करना।
20. संसाधनों के पुनः प्रयोग की तुलना में संसाधनों की मितव्ययता अधिक महत्वपूर्ण एवं फलदायी होती है—के भाव को विद्यार्थियों में जागृत करना।
21. विद्यार्थियों को सामुहिक राष्ट्रीय गान में भाग लेने के लिए प्रेरित करना।
22. विद्यार्थियों को विद्यालय—सम्पदा को राष्ट्रीय सम्पत्ति के रूप में सम्भाल कर रखने के लिए प्रेरित करना।
23. विद्यार्थियों में मानसिक एवं बौद्विक स्वच्छता एवं सकारात्मक चिंतन के प्रति अभिरूचि पैदा करना।
24. विद्यार्थियों में अनुशासन एव अनुराग, सहभागिता एवं समभाव, धर्म—निरपेक्षता एवं राष्ट्रीयता के ओजस्वी भाव जागृत करना।

**पुरस्कार का वर्गीकरण**

स्वच्छ एवं सौन्दर्यीकृत विद्यालयों को पुरस्कार देने के लिए निम्न तीन स्तर पर एक—एक विद्यालय प्रत्येक वर्ग अर्थात प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं उच्चत्तर विद्यालयों में से एक विद्यालय का चयन किया जाएगा, जिन्हें क्रमशः निम्नानुसार पुरस्कार दिए जाएगें जिस पर लगभग 342.00 लाख रूपये की धनराशि व्यय होने की संभावना है :—

| क्र0 | स्तर/संख्या | प्राईमरी | माध्यमिक | उच्च | उच्चत्तर | राशि (लाख रू.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खण्ड<br>119 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 238.00 |
| 2 | जिला<br>21 | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | 1,00,000 | 84.00 |
| 3 | राज्य<br>1 | 5,00,000 | 5,00,000 | 5,00,000 | 5,00,000 | 20.00 |
| | | | | | कुल प्रस्तावित व्यय | 342.00 |

**पुरस्कार–प्रक्रिया:–**

इस योजना में सर्वप्रथम विद्यालय अपने खण्ड में खण्ड शिक्षा अधिकारी को उक्त पुरस्कार के लिए आवेदन करेगें तथा संलग्न प्रपत्र में सूचना भेजेंगे। खण्ड स्तर की कमेटी आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण करेगी तथा पुरस्कार देने हेतु विद्यालय का चयन करेगी। खण्ड स्तर पर प्रथम स्थान अर्जित करने वाले विद्यालय जिला स्तर पर प्रतियोगिता में भागीदारी करेगें तथा जिला स्तरीय कमेटी जिले के प्रथम पुरस्कार योग्य विद्यालय का चयन करेगी। अपने जिले में प्रथम आने वाले विद्यालय को राज्य स्तर पर गठित निर्णायक कमेटी द्वारा राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए पुनः मुल्यांकित किया जाएगा तथा सभी अपने–अपने जिलों में प्रथम आये विद्यालयों में से राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु विद्यालयों का चयन किया जाएगा ।

**आवेदन करने तथा जांच एवं मूल्यांकन हेतु समय सीमा :–**

**खंड स्तरः** इस प्रतियोगिता हेतु आवेदन करने की तिथि 01 अक्तुबर से 30 अक्तुबर तक होगी जिसमें सभी विद्यालय, सभी निर्धारित प्रपत्र में हर अवस्था में 30 अक्तुबर तक खंड स्तर पर गठित समिति के सदस्य सचिव को आवेदन देंगे तथा खण्ड स्तरीय चयन समिति द्वारा समुचित निरीक्षण उपरान्त हर अवस्था में नवम्बर मास में प्रथम आने वाले विद्यालय का चयन करके परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।

**जिला स्तरः** अपने खंड में प्रथम आने वाले विद्यालय जिला स्तरीय प्रतियोगित में भाग लेंगे। प्रत्येक जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम आने वाले विद्यालयों की सूची सम्बन्धित उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अतिरिक्त उपायुक्त को प्रस्तुत करेगें तथा दिसम्बर मास के प्रथम सप्ताह में इन विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। दिसम्बर मास के दूसरे सप्ताह में जिला स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यालय का चयन/परिणाम हर अवस्था में घोषित कर दिया जाएगा।

**राज्य स्तरः** अपने–अपने जिलों के प्रथम आए विद्यालयों के परिणाम अतिरिक्त उपायुक्त से प्रतिहस्ताक्षरित पूरे दस्तावेजों के साथ दिसम्बर मास के तीसरे सप्ताह में राज्य स्तरीय चयन कमेटी को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, गुड़गांव (सदस्य सचिव राज्य स्तरीय चयन समीति) को प्रस्तुत किए जाएगे तथा इन सभी जिलों में से प्रथम आए विद्यालय का निर्णय राज्य स्तरीय कमेटी द्वारा जनवरी के प्रथम सप्ताह में हर अवस्था में पूर्ण कर लिया जाएगा। 26 जनवरी **"गणतन्त्र दिवस"** के उपलक्ष में राज्य स्तर पर आयोजित किए जाने वाले समारोह में राज्य स्तर पर प्रथम आए विद्यालय को पुरस्कृत किया जाएगा इसी प्रकार खण्ड एवं जिला स्तर पर प्रथम आने वाले विद्यालयों को भी इसी दिन अपने–अपने जिलों में पुरस्कृत किया जाएगा।

## योजना में आवेदन करने वाले विद्यालयों के लिए न्यूनतम मापदंड:–

राज्य सरकार के सभी सरकारी विद्यालय अनिवार्य रूप से इस प्रतियोगिता में भाग लेगें तथा अपने–अपने विद्यालय के सौन्दर्य की वस्तुस्थिति निर्धारित प्रपत्र में भरकर सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

**निर्णायक मंडल:–**

**खंड स्तरीय**

| क्र0 | सदस्य | पद संज्ञा |
|---|---|---|
| 1 | उप मण्डल अधिकारी (नागरिक) | अध्यक्ष |
| 2 | बाल विकास परियोजना अधिकारी | सदस्य |
| 3 | खण्ड शिक्षा अधिकारी | सदस्य सचिव |
| 4 | खंड के दो वरिष्ठतम प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापक | सदस्य |

**जिला स्तरीय:–**

| क्र0 | सदस्य | पद संज्ञा |
|---|---|---|
| 1 | अतिरिक्त उपायुक्त | अध्यक्ष |
| 2 | जिला वन अधिकारी | सदस्य |
| 3 | कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास (ICDS) | सदस्य |
| 4 | जिला शिक्षा अधिकारी | सदस्य सचिव |
| 5 | जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य |

**राज्य स्तरीय**

| क्र0 | सदस्य | पद संज्ञा |
|---|---|---|
| 1 | वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विद्यालय शिक्षा विभाग | अध्यक्ष |
| 2 | निदेशक विद्यालय शिक्षा | सदस्य |
| 3 | निदेशक मौलिक शिक्षा | सदस्य |
| 4 | निदेशक सर्व शिक्षा अभियान | सदस्य |
| 5 | सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी | सदस्य |
| 6 | निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 गुड़गांव | सदस्य सचिव |

**पुरस्कार राशि का प्रावधान:**

प्रस्तावित योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 342.00 लाख रूपये की धनराशि के व्यय होने की सम्भावना है जो सर्व शिक्षा अभियान में उपलब्ध धन राशि तथा विद्यालय शिक्षा

निदेशालयों के बजट से किया जाएगा। बकाया राशि राज्य सरकार से अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान करवा कर उपलब्ध करवाई जाएगी।

**पुरस्कार राशि का उपयोग**

1. उक्त पुरस्कारों में प्रदान की जाने वाली राशि का उपयोग केवल विद्यार्थियों के मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास तथा विद्यालयों के ढांचागत विकास एंव सौन्दर्यीकरण हेतु ही किया जाएगा।
2. उक्त राशि का उपयोग विद्यालय प्रबन्धन समिति / विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति की सहमति एवं माध्यम से किया जाएगा।
3. उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अगले वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर तक अवश्य विभाग को भेजा जाएगा।

(21)

प्रपत्र

# "मुख्य मन्त्री स्कूल सौन्दर्यीकरण प्रोत्साहन पुरस्कार योजना" का मूल्यांकन करने हेतु मापदण्ड

विद्यालय का नाम ..................................................

खण्ड का नाम ..................................................

जिले का नाम ..................................................

कुल अंकः 400 स्वः निर्धारित अंक............ कमेटी द्वारा दिए गए अंक ...........

## (1) भवन एवं विन्यास

| भवन एवं विन्यास | उत्कृष्ट | अति उत्तम | उत्तम | सामान्य | सामान्य से कम | स्व. निर्धारित अंक | कमेटी द्वारा दिए गए अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. भवन एवं फर्नीचर का रख–रखाव (सफेदी,रंग–रोगन की स्थिति पर आधारित) | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | | |
| 2. कार्यालय / प्रयोगशाला / कम्प्यूटर लैब / पुस्तकालय व्यवस्था | 15 | 12 | 8 | 5 | 0 | | |
| 3. रसोईघर (पानी एवं सफाई की व्यवस्था सहित) | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | | |
| 4. मुख्य द्वार और चारदीवारी | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | | |
| 5. क्रीडा–स्थल (Indoor/ Outdoor) का रख–रखाव एवं क्रीड़ा सामग्री का वित्तरण (अभिलेख आधारित) | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | | |

## (2) जलप्रबन्धन

| स्वच्छ पीने के पानी की हर समय उपलब्धता एवं व्यवस्था | उत्कृष्ट | अति उत्तम | उत्तम | सामान्य | सामान्य से कम | स्व. निर्धारित अंक | कमेटी द्वारा दिए गए अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | 20 | 15 | 10 | 0 | | |
| जल निकासी एवं सफाई की व्यवस्था का स्तर | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | | |
| जल संरक्षण व्यवस्था | 15 | 12 | 8 | 5 | 0 | | |

## (3) शौचालय

| | उत्कृष्ट | अति उत्तम | उत्तम | सामान्य | सामान्य से कम | स्व. निर्धारित अंक | कमेटी द्वारा दिए गए अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **शौचालय में पानी की व्यवस्था एवं सफाई का स्तर (सीवरेज व्यवस्था सहित)** | 40 | 30 | 20 | 10 | 0 | | |

## (4) कूड़ा–कर्कट निपटान व्यवस्था

| | उत्कृष्ट | अति उत्तम | उत्तम | सामान्य | सामान्य से कम | स्व. निर्धारित अंक | कमेटी द्वारा दिए गए अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थों के निपटान का स्तर** | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | | |

## (5) अन्य महत्वपूर्ण मापदण्ड

| कार्य की प्रकृति | उत्कृष्ट | अति उत्तम | उत्तम | सामान्य | सामान्य से कम | स्व. निर्धारित अंक | कमेटी द्वारा दिए गए अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. बगीचा /पौधों/गमलों की स्थिति | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | | |
| 2. विद्यार्थी अनुशासन व वर्दी का स्तर | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | | |
| 3. मध्याह्न भोजन पकाने की व्यवस्था एवं वितरण व्यवस्था। | 30 | 20 | 10 | 5 | 0 | | |
| 4. विद्यालय अभिलेख के रख–रखाव का स्तर एवं पुस्तकालय की पुस्तकों के जारी करने की नियमतिता का स्तर | 20 | 15 | 8 | 5 | 0 | | |
| 5. प्रार्थना सभा की नियमितता एवं विषय तत्व का स्तर | 20 | 15 | 8 | 5 | 0 | | |
| 6. बिजली फिटिंग और अग्निशमन यन्त्र का रख–रखाव | 20 | 15 | 8 | 5 | 0 | | |
| 7. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान एवं विभिन्न प्रकार की छात्रवृति एवं अनुदानों की प्राप्ति एवं व्यय का दीवारों पर जन अवलोकनार्थ लेखन का स्तर | 20 | 15 | 8 | 5 | 0 | | |
| 8. विद्यालयों भवनों के बरामदों में राज्य एवं राष्ट्र के मानचित्र, राष्ट्रगान एवं नैतिक शिक्षा–उन्मुख, अनमोल वचन के लेखन का स्तर | 20 | 15 | 8 | 5 | 0 | | |

## निरीक्षण

| समिति | उत्कृष्ट | अति उत्तम | उत्तम | सामान्य | सामान्य से कम | स्व. निर्धारित अंक | कमेटी द्वारा दिए गए अंक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन एवं विकास समिति की मासिक बैठक के नियमित आयोजन का अभिलेख आधारित स्तर | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 | | |

(स्कूल के मुख्यिा के हस्ताक्षर)

(चयन कमेटी के अध्यक्ष/सदस्य के हस्ताक्षर)